न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री दिनेश आचार्य आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः—33 / 2025

तारीख दायर—24.07.2025

तारीख—निर्णय—27.02.2026

1. श्री पेपा पिता खाना मीणा निवासी आरणीया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

........प्रार्थी

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

.........अप्रार्थी

उपस्थित—प्रार्थी की ओर से— अधिवक्ता श्री पुष्कर लाल मीणा

अप्रार्थी की ओर से—श्री राजपेरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

—: :निर्णय : :—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वत्व, आधिपत्य की कृषि भूमि परिशिष्ठ (अ), मौजा आरणीया, पटवार हल्का आरणीया भू.अ.निरीक्षक वृत्त कूण तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.) के खाता संख्या नया 37 व पुराना 36 में वर्णित आराजी संख्या 133 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 137 रकबा 0.3348 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 223 रकबा 0.4428 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 225 रकबा 0.7128 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 227 / 1 रकबा 0.8640 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 504 रकबा 0.3132 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 508 रकबा 0.1296 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 510 रकबा 0.3672 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 511 रकबा 0.1836 हैक्टेयर, किता 9 कुल रकबा 3.6180 हैक्टेयर भूमि परिशिष्ठ (ब) खाता संख्या नया (36) व पुराना (35) में वर्णित आराजी 211 रकबा 0.2376 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 291 रकबा 0.1944 हैक्टेयर, आराजी नमबर 8 रकबा 0.0972 हैक्टेयर किता 03 कुल रकबा 0.5292 हैक्टेयर भूमि परिशिष्ठ (अ),(ब), में वर्णित आराजीयात प्रार्थी व अन्य खातेदार की संयुक्त भूमि है प्रार्थी नाबालिग होने के कारण अन्तकाल खोलते समय पटवारी द्वारा राजस्व रेकॉर्ड में राजु पिता खाना नाम दर्ज कर दिया जो जबकी प्रार्थी का नाम राजु नही होकर पेपा है प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में जैसें राशन कार्ड, पैन कार्ड, ई—श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड,जन आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम पेपा है अन्तकाल खोलते समय सही जॉच नही की व न ही दस्तावेजों से अन्तकाल खोला गया जो एक लिपीकीय त्रुटी है जिसको प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में सही नाम दर्ज किया जाना नितान्त आवश्यक है। वाद ग्रस्त आराजी मौजा आरणीया पटवार हल्का आरणीया भू.अ.निरीक्षक वृत्त कूण तहसील लसाडिया में स्थित होकर आप न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से आप न्यायालय में प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः निवेदन किया गया की प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में सही नाम दर्ज करने का आदेश फरमावे ।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी (तहसीलदार) को जरिये सम्मन तलब किये गये। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम आरणीया पटवार हल्का आरणीया भू.अ.निरीक्षक कूण तहसील लसाडिया के परिशिष्ठ (अ), मौजा आरणीया, पटवार हल्का आरणीया भू.अ.निरीक्षक वृत्त कूण तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.) के खाता संख्या नया 37 व पुराना 36 में वर्णित आराजी संख्या 133 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 137 रकबा 0.3348 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 223 रकबा 0.4428

हैक्टेयर, आराजी नम्बर 225 रकबा 0.7128 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 227/1 रकबा 0.8640 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 504 रकबा 0.3132 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 508 रकबा 0.1296 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 510 रकबा 0.3672 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 511 रकबा 0.1836 हैक्टेयर, किता 9 कुल रकबा 3.6180 हैक्टेयर भूमि परिशिष्ठ (ब) खाता संख्या नया (36) व पुराना (35) में वर्णित आराजी 211 रकबा 0.2376 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 291 रकबा 0.1944 हैक्टेयर, आराजी नमबर 8 रकबा 0.0972 हैक्टेयर किता 03 कुल रकबा 0.5292 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी व अन्य खातेदारों की संयुक्त भूमि में प्रार्थी श्री राजु पिता खाना जाति मीणा के नाम दर्ज है। अतः भू-अभिलेख निरीक्षक कूण, पटवारी हल्का आरणीया एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर कॉलम संख्या 1 में परिशिष्ठ (अ),(ब), में वर्णित आराजीयात खातेदार का नाम श्री राजु पिता खाना मीणा के बजाय श्री पेपा पिता खाना मीणा किया जाना उचित है। तत्पश्चात् प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में वही कथन कहें है, जो अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये है।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी के अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है।

:-आदेशः-

तहसीलदार लसाडिया की रिपोर्ट व प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में खातेदार का नाम श्री राजु पुत्र खाना मीणा के बजाय श्री पेपा पुत्र खाना मीणा किया जाना जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आदेशानुसार पालना किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को लिखा जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 .को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला-सलुम्बर

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)